# न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

## स्वत्व वाद सं0–178/22

## CIS 178/22

10-01-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद वादी के आवेदन दिनांक–10.01.2023 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि वादपत्र के मुख्य पृष्ठ सं0–1 एवं 2 में प्रतिवादी सं0–3, 4, 5, 6, 7, कमशः योगेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह एवं अरविंद सिंह के पिता का नाम स्वर्गीय चन्द्रदीप सिंह हैं, जो वादपत्र के प्रथम एवं द्वितीय पृष्ठ पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण नहीं लिखा गया है। इस प्रकार वादपत्र के प्रामि एवं द्वितीय पृष्ठ पर प्रतिवादी सं0– 3, 4, 5, 6 एवं 7 के पिता स्व0 चन्द्रदीप सिंह का नाम जोड़ने की अनुमति दी जाय।

प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादीपक्ष को सुना। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन से ज्ञात होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–10.01.2023 अंतर्गत आदेश 6, नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में दाखिल आवेदनानुसार संशोधन करने से मूल वाद के प्रकृति में किसी खास प्रकार का परिवर्तन होना प्रतीत नहीं होता है, जिससे कि मूल वाद में मांगे गए अनुतोष में किसी प्रकार का परिवर्तन होना प्रतीत नहीं होता हो। प्रस्तुत प्रार्थी का आवेदन सामान्य प्रकृति के संशोधन होना परिलक्षित होता है, इसलिए वादी के आवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। साथ–ही वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार मूल वाद में तथाकथित आवेदनानुसार पृष्ठांकित करें। वाद दिनांक– 03.03.23 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

10.01.23

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी